धर्म और ध्वनि प्रदूषण

डा. बसन्तीलाल बाबेल
निदेशक, राजस्थान विधि संस्थान
लावा सरदारगढ़ राजसमन्द, राजस्थान -313330

ध्वनि प्रदूषण आज की एक ज्वलन्त समस्या है। आम आदमी इससे त्रस्त है। ध्वनि अपने-आप में अनावश्यक एवं अवांछनीय शोरगुल है। यह अनेक रोगों को जन्म देती है यथा- हृदय रोग, स्नायु रोग, बहरापन आदि। एक समय था जब ध्वनि केवल कारखानों या मोटर वाहनों की उपज होती थी लेकिन आज ध्वनि प्रदूषण के अनेक स्रोत हो गये हैं, यथा-

औद्यागिक ध्वनि प्रदूषण	वाहन ध्वनि प्रदूषण	पड़ोस का ध्वनि प्रदूषण
मशीन (यंत्र)	सड़क /रेल यातायात	टी.वी./रेडियो
सायरन	विमानों की ध्वनि	लाउड स्पीकर
इलैक्ट्रोनिक	सोनिक बुम	धार्मिक-स्थल
सन्निर्माण प्रक्रिया	हॉर्न	रेस्टोरेन्ट
कर्मकारों का शोरगुल	हवा का निकास	निर्माण कार्य

धर्म और ध्वनि प्रदूषण :

धर्म से कारित ध्वनि-प्रदूषण आज सर्वाधिक चिन्ता का विषय है। मनुष्य ने ध्वनि प्रदूषण को धर्म से इस प्रकार जोड़ दिया है मानों उनमें चोली दामन का साथ हो। यह धारणा बन गई है कि लाउड स्पीकरों के बिना साधना और आराधना हो ही नहीं सकती। धर्म स्थलों पर माइक का होना एक आवश्यकता बन गई है। माइक के बिना न प्रार्थना हो सकती है न भजन हो सकते हैं और न भाषण। धर्म स्थलों पर जब एक बार माइक हाथ में आ जाता है तो वह आसानी से छूटता नहीं। माइक पर बोलना एक नशा बन गया है।

धार्मिक स्थलों पर माइक एवं लाउडस्पीकरों के प्रयोग को संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(क) तथा 25 के अन्तर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति तथा धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार माना जाता है। लेकिन ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 19 व 25 में और भी कुछ कहा गया है। अनुच्छेद 19(1) (क) के अधीन प्रदत्त मूल अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार, शिष्टाचार एवं साधारण जनता के हितों के संरक्षण अध्यधीन है। किसी अन्य व्यक्ति या पड़ोसी को कष्ट पहुंचाकर या न्यूसेन्स कारित कर इस अधिकार का दावा नहीं किया जा

सकता। अनुच्छेद 25 में तो यह स्पष्ट उपबंध किया गया है कि "लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य ..... के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का हक होगा।" अतः धर्म स्थलों पर माइक एवं लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने वालों को यह जान लेना चाहिए कि यह उनका अबाध मूल अधिकार नहीं है।

ध्वनि नियंत्रक कानून

ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए संविधान में और अन्य अनेक विधियों में प्रावधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत पर्यावरण को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अंग मान लिया गया है। इस अधिकार के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण निषेधित है। अनुच्छेद 48 क में यह कहा गया है कि - "राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" इसी प्रकार अनुच्छेद 51 क (छ) में यह व्यवस्था की गई है कि - "भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य- जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दया भाव रखे।"

ध्वनि प्रदूषण निवारण के लिये 'वायु' (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में भी प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम की धारा 2 (क) के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी की परिभाषा में ध्वनि प्रदूषण को भी सम्मलित किया गया है। इतना ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए **"ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000"** भी बनाये गये हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि सीमा निर्धारित की गई है; यथा-

एरिया कोड	एरिया /जोन का वर्ग	दिन के समय डीबी सीमा	रात्रि के समय डीबी सीमा
ए.	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
बी.	व्यवसायिक क्षेत्र	65	55
सी.	आवासीय क्षेत्र	55	45
डी.	शान्ति जोन	50	40

न्यायिक निर्णय

ध्वनि प्रदूषण के निवारण में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे शीर्षस्थ न्यायालयों द्वारा समय-समय पर कई महत्वपूर्ण न्यायिक

निर्णय दिये गये हैं। **'चर्च ऑफ गोड़ बनाम के.आर. मेजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन' (ए.आई.आर. 2000 एम.सी. 2773)** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - "कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि ईश्वर की प्रार्थना अन्य व्यक्तियों की शांति भंग करके की जाये अथवा प्रार्थना में लाउडस्पीकरों या ढोल-नगाड़ों का प्रयोग किया जाये। धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण कारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि किसी धर्म में ऐसी परिपाटी है तो उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन न हो।" **फ्री लीगल एड सेल बनाम स्टेट' (ए.आई.आर. 2001 दिल्ली 455)** के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि उत्सवों, विवाह समारोहों आदि में तेज ध्वनि वाले पटाखे छोड़ना ध्वनि प्रदूषण भी है और न्यूसेन्स भी। **"सैय्यद मकसूद अली बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश" (ए.आई.आर. 2001 मध्यप्रदेश 220)** के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी धर्मशाला के मालिक अथवा प्रभारी को निरन्तर लाउड स्पीकर चलाकर पडोसी की सुख-शान्ति को भंग करने का अधिकार नहीं है।

'आचार्य महाराज श्री नरेन्द्र प्रसाद जी आनन्द प्रसाद जी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात' (ए.आई.आर1974 एस.सी. 2098) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया है कि- "सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई भी अधिकार अबाध रूप से नहीं दिया जा सकता। कोई भी व्यक्ति दूसरे के अधिकार को छीनकर अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। दोनों के बीच सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है।"

आज आवश्यकता इन न्यायिक - निर्णयों पर अमल करने तथा कानूनों का पालन करने की है। धर्म के नाम पर न्यूसेन्स एवं ध्वनि प्रदूषण कारित करने के विरूद्ध बगावत करने का अब समय आ गया है। धर्म की आड़ में कोई भी व्यक्ति अब पड़ोसी की सुख - शांति को भंग नहीं कर सकता। धर्म शांति का मार्ग है; ध्वनि प्रदूषण का नहीं। ऋषि-मुनियों, आचार्यो तथा तीर्थंकरों ने जंगलों में शांति को तलाशा है कर्मो के बंधनों को काटा है तथा ईश्वर की आराधना की है। आज इस मर्म को समझने तथा शांति से ईश्वर आराधना करने की आवश्यकता है। हम माइक एवं लाउडस्पीकरों के मोह को त्यागें तथा शांति से ईश्वर की भक्ति करें, यही इन कानूनों एवं न्यायिक - निर्णयों का सार है।

* * *